रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1048] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2012/ज्येष्ठ 11, 1934
No. 1048] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2012/JYAISTHA 11, 1934

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2012

का.आ. 1264(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (इसमें इसके पश्चात शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 23 की उपधारा (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 मार्च, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।। खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. एसओ 623(ई) दिनांक 23 मार्च, 2011 द्वारा ओडिशा राज्य को एक वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान की गई थी।

2. और जबकि, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2012 के अपने पत्र द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खंड 23 के उपखंड (2) के अंतर्गत आगे तीन वर्ष की अवधि हेतु छूट के लिए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

3. और जबकि, केन्द्र सरकार ने ओडिशा राज्य सरकार के छूट प्रदान करने के प्रस्ताव की जांच की और उस पर विचार किया।

4. अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (जिसे आगे इस अधिसूचना में एनसीटीई कहा गया है) द्वारा कक्षा I-VIII के संबंध में अधिसूचित न्यूनतम अध्यापक योग्यता मानदंडों के लिए ओडिशा राज्य सरकार को छूट देती है, जो निम्नानुसार हैः–

(क) कक्षा I-VIII में अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (किसी भी नाम से जाना जाए); और

(ख) कक्षा VI-VIII में अध्यापक की नियुक्ति हेतु 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी. एड.)

टिप्पणी: 1 उपर्युक्त छूट 31 मार्च, 2013 तक वैध होगी और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, नामतः–

(i) जैसाकि उपर्युक्त एनसीटीई अधिसूचना में निर्दिष्ट है, ओडिशा राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विज्ञापन की प्रक्रिया के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों से आवेदनपत्र आमंत्रित करके अध्यापक पात्रता परीक्षा (जिसे आगे इस अधिसूचना में टीईटी कहा गया है) आयोजित करेगी तथा प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु केवल उन्हीं व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(ii) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंध भर्ती नियमावली में संशोधन करेंगे ताकि उसे एनसीटीई की उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं के अनुरूप बनाया जा सके;

(iii) नियुक्ति के मामले में, राज्य सरकार उन पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जो दिनांक 25 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं तथा उसके पश्चात ही उन पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करेगी जो इस अधिसूचना में प्रदत्त छूट के आधार पर विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हैं;

(iv) अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का व्यापक प्रचार, राज्य से बाहर भी, किया जाना चाहिए;

(v) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंध यह सुनिश्चित करेंगे कि एनसीटीई की उपर्युक्त अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं न रखने वाले शिक्षक, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करेंगे;

(vi) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंध यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अध्यापकों को, छूट दी गई अर्हताओं के मानदंडों के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, वे नियुक्ति के वर्ष से दो वर्षों की अवधि के भीतर एनसीटीई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लें;

(vii) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट के अतिरिक्त, राज्य सरकार को धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत आगे कोई छूट नहीं दी जाएगी;

(viii) विशिष्ट अर्हताओं वाले व्यक्तियों को तैयार करने के लिए राज्य सरकार को संस्थागत क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 31 मार्च, 2013 के पश्चात कक्षा I-VIII में केवल अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाए।

टिप्पणी: 2 एनसीटीई के दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र द्वारा जारी अध्यापक पात्रता परीक्षा दिशा-निर्देशों के पैरा 5 के उप पैरा (iii) के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति भी 31 मार्च, 2013 तक राज्य में की जाने वाली अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए भी पात्र होंगे:–

(क) कक्षा I-V के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सैकेंडरी (या समकक्ष);

(ख) कक्षा VI-VIII के लिए स्नातक।

[फा. सं. 1-17/2010-ई.ई. 4]

अनिता कौल, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2012

S.O. 1264(E).—WHEREAS the Central Government had in exercise of powers under sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (hereinafter in this notification referred to as the RTE Act) granted relaxation to the State of Odisha for a period of one year vide notification No. S.O. 623, (E), dated the 23rd March, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, sub-section (ii), dated the 24th March, 2011.

2. And whereas, the State Government of Odisha vide its letter dated the 4th April, 2012 submitted a proposal to the Central Government for grant of relaxation under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act for a further period of three years.

3. And whereas, the Central Government examined and considered the proposal of the State Government of Odisha for grant of relaxation.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the RTE Act, the Central Government hereby grants further relaxation to the State Government of Odisha in respect of the minimum teacher qualification norms notified by the National Council for Teacher Education (hereinafter in this notification referred to as the NCTE), published on the 25th August, 2010, in so far as they relate to classes I-VIII, as under,-

(a) two-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I-VIII; and

(b) one-year Bachelors in Education (B.Ed) for appointment of a teacher in classes VI to VIII.

Note: 1 The aforementioned relaxation shall be valid upto the 31st March, 2013 and shall be subject to the following conditions, namely:-

(i) as specified in the aforementioned notification of the NCTE, the State Government of Odisha shall conduct the Teacher Eligibility Test (hereinafter in this notification referred to as TET) in accordance with the Guidelines dated the 11th February, 2011 issued by the National Council for Teacher Education inviting applications from eligible candidates through a process of advertisement and only those persons who pass the

TET can be considered for appointment as a teacher in elementary classes;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules to correspond with the minimum qualification norms laid down by the aforementioned notification of the NCTE;

(iii) in the matter of appointment, the State Government shall give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the NCTE notification dated the 25th August, 2010, and only thereafter consider the eligible candidates with the relaxed qualifications specified in this notification;

(iv) advertisement for the appointment of teachers should be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers not possessing the minimum academic and professional qualifications laid down in the aforementioned notification of the NCTE shall acquire the same within the time limit specified under sub-section(2) of section 23 of the RTE Act, 2009;

(vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers who are appointed under the relaxed qualifications acquire the minimum qualification specified in the NCTE notification within a period of two years from the year of appointment;

(vii) in addition to the relaxation specified in this notification, no further relaxation under sub-section (2) of section 23 shall be granted to the State Government;

(viii) the State Government shall take steps to increase the institutional capacity for preparing persons with the required qualifications so as to ensure that only qualified persons are appointed as teachers in classes I to VIII after the 31st March, 2013.

Note: 2 In accordance with sub-para (iii) of para 5 of the TET Guidelines issued by the NCTE vide its letter dated the 11th February, 2011, the following persons shall also be eligible for appearing in the TET conducted by the State Government of Odisha in respect of teacher appointments made in the State upto the 31st March, 2013:

(a) For classes I to V – Senior Secondary (or equivalent) with at least 50 per cent marks;

(b) For classes VI to VIII – Graduation

[F. No. 1-17/2010-EE-4]

ANITA KAUL, Addl., Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.